10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES
20 रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

(1497)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–टीकमगढ़ A नि– 2456- I-16

1– श्रीमती मानकुमारी पत्नी स्व. श्री देवी सिंह ठाकुर

2– राघवराज सिंह पुत्र श्री स्व. श्री देवी सिंह ठाकुर निवासी – स्टेट बैंक के सामने टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

...........आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती माया सिंह पत्नी श्री संजय सिंह निवासी – जेल रोड टीकमगढ़ तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

2– श्रीमती मुक्ता सिंह पत्नी श्री चन्द्रर भूषण सिंह निवासी – नदी गॉव तहसील कौच जिला – जालौन (उ.प्र.)

3– श्रीमती सरिता सिंह पत्नी श्री विक्रम सिंह निवासी – अप्सरा ब्यूटी पार्लर किशोर सागर रोड़ एम.एल.बी स्कूल के सामने महलो के पींछे छतरपुर (म.प्र.)

4– श्रीमती रंजना सिंह पत्नी संदीप सिंह पायक निवासी – इन्द्रपुरी कालोनी टीकमगढ़ (म.प्र.)

5– श्रीमती मंजूलता सिंह पत्नी श्री जगदीप सिंह निवासी – महाराणा अपार्टमेंन्ट फ्लेट नं. 101, प्रेस कॉम्प्लेक्स जॉन वन एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 09/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 05.07.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ का आदेश दिनांक 05.07.2016 अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-2456-एक/2016 जिला टीकमगढ़ मानकुमारी विरूद्ध मायासिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के अपील प्रकरण क्रमांक 9/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 05-07-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 26-07-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया	
21.12.18		

जाता है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 21.12.18
सदस्य